संख्या-48/2023/2399534/12-2099/90/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 मई, 2023

विषय- **खरीफ अभियान, 2023 की फसल उत्पादन की रणनीति के संबंध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश में खरीफ एक महत्वपूर्ण फसल है। खरीफ-2022 में खाद्यान्न तथा तिलहनी फसलों के अन्तर्गत 88.59 लाख हे0 का क्षेत्र आच्छादित हुआ एवं 200.54 लाख मी0टन का उत्पादन हुआ। आगामी खरीफ-2023 में कुल 7.62 लाख हे0 के क्षेत्र आच्छादन तथा 42.58 लाख मी0टन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। उपरोक्त वृद्धि मुख्य फसलवार निम्नवत् लक्षित है:-

| क्र0 सं0 | फसल | क्षेत्रफल में वृद्धि (लाख हे0 में) | उत्पादन में वृद्धि (लाख मी0टन में) |
|---|---|---|---|
| 1 | धान(चावल) | 0.81 | 23.23 |
| 2 | बाजरा | 1.03 | 5.09 |
| 3 | ज्वार | 0.36 | 0.74 |
| 4 | अन्य श्री अन्न | 0.06 | 0.09 |
| 5 | मक्का | 1.03 | 7.60 |
| 6 | दलहन | 2.64 | 3.94 |
| 7 | तिलहन | 1.69 | 1.90 |
| | **कुल** | **7.62** | **42.59** |

2. राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में खरीफ फसलों के उत्पादन के सम्बन्ध में स्थिति व अनुमान निम्नवत् है:-

| | **राष्ट्रीय स्तर पर** | | | **प्रदेश स्तर पर** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **फसल** | **क्षेत्र (लाख हे0)** | **उत्पादन (2022-23) (लाख टन)** | **उत्पादन लक्ष्य (2023-24) (लाख टन)** | **क्षेत्र (लाख हे0)** | **उत्पादन (2022-23) (लाख टन)** | **उत्पादन-लक्ष्य (2023-24) (लाख टन)** |
| धान(चावल) | 404.53 | 1080.75 | 1110.00 | 60.00 | 154.90 | 178.13 |
| बाजरा | 70.33 | 97.85 | 99.30 | 9.08 | 19.70 | 24.80 |
| ज्वार | 14.09 | 15.31 | 19.10 | 1.84 | 2.74 | 3.48 |
| अन्य श्री अन्न | 4.74 | 3.80 | 21.30 | 0.09 | 0.06 | 0.15 |
| मक्का | 80.49 | 238.32 | 240.00 | 6.97 | 14.56 | 22.16 |
| दलहन | 130.67 | 81.57 | 90.90 | 8.61 | 6.74 | 10.67 |
| कुल खाद्यान | 704.85 | 1517.60 | 1580.60 | 84.29 | 198.71 | 239.39 |
| तिलहन | 192.97 | 253.68 | 283.70 | 4.31 | 1.83 | 3.73 |

3. राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर वर्ष-2022 में उर्वरकों का कुल विक्रय एवं खरीफ-2023 में अनुमानित आवश्यकता निम्नवत् है:-

| उर्वरक | खरीफ-22 में राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय (मि0टन) | खरीफ-23 मे राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय का अनुमान (मि0टन) | खरीफ-22 में प्रदेश स्तर पर विक्रय (लाख0 टन) | खरीफ-23 में प्रदेश स्तर पर विक्रय का अनुमान (लाख0 टन) | वृद्धि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| यूरिया | 172.61 | 170.67 | 36.27 | 37.15 | 2.42 |
| डी0ए0पी0 | 51.60 | 55.19 | 8.13 | 8.50 | 4.55 |
| एम0ओ0पी0 | 7.12 | 15.02 | 1.34 | 3.00 | 123.88 |
| एन0पी0के0 | 52.07 | 62.71 | 0.36 | 1.00 | 177.77 |
| एस0एस0पी0 | 26.42 | 33.76 | 2.21 | 3.00 | 35.75 |
| योग | | | 48.31 | 52.65 | 8.98 |

4. दलहनी फसलों के राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन व आयात की वर्तमान स्थिति व प्रोजेक्शन निम्नवत् है:-

दलहनी फसलें

(मिलियन टन)

| वर्ष | 2021-22 | 2022-23 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| मांग | 29.26 | 29.47 | 31.83 | 32.64 | 35.23 |
| उत्पादन | 26.96 | 27.81 | 29.79 | 30.75 | 33.95 |
| आयात की आवश्यकता | 2.30 | 1.66 | 2.04 | 1.89 | 1.28 |
| आयात पर निर्भरता | 8 % | 5.6% | 6 % | 5.7 % | 3.6 % |

5. दलहनी फसलों का राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष-2022-23 तक क्षेत्राच्छादन उत्पादन व उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् रही है:-

| वर्ष | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्र अच्छादन(मि0 हे0) | 29.16 | 27.99 | 28.78 | 30.37 | 30.10 |
| उत्पादन (मि0टन) | 22.08 | 23.03 | 25.46 | 26.96 | 27.81 |
| उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0) | 757 | 823 | 885 | 888 | 898 |

विगत वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर दलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है और आयात पर निर्भरता कम हुई है।

6. दलहनी फसलों का प्रदेश स्तर पर वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष-2022-23 तक क्षेत्राच्छादन व उत्पादन की स्थिति निम्नवत् रही है:-

| वर्ष | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 (द्वितीय अग्रिम अनुमान पर आधारित) |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्र अच्छादन(लाख हे0) | 22.91 | 23.70 | 23.80 | 24.29 | 26.60 |
| उत्पादन (लाख टन) | 24.08 | 24.47 | 25.34 | 26.20 | 29.95 |
| उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0) | 1051 | 1032 | 1064 | 1078 | 1125 |

7. राष्ट्रीय स्तर पर तिलहनी फसलों की क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् है:-

| **वर्ष** | **2017-18** | **2018-19** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23 (द्वितीय अग्रिम अनुमान पर आधारित)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्राच्छादन (मि0 हे0) | 24.50 | 24.79 | 27.13 | 28.83 | 28.95 | 29.26 |
| उत्पादन (मि0 टन) | 31.45 | 31.52 | 33.21 | 35.95 | 37.96 | 40.00 |
| उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0) | 1284 | 1271 | 1224 | 1247 | 1312 | 1367 |

8. प्रदेश स्तर पर तिलहनी फसलों की क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् है:-

| **वर्ष** | **2017-18** | **2018-19** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23 (द्वितीय अग्रिम अनुमान पर आधारित)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्राच्छादन (लाख हे0) | 10.87 | 12.33 | 12.06 | 11.97 | 12.07 | 13.76 |
| उत्पादन (लाख टन) | 13.62 | 15.55 | 13.05 | 17.95 | 17.58 | 20.87 |
| उत्पादकता (कि0ग्रा0/हे0) | 1054 | 1080 | 891 | 1065 | 1025 | 11.39 |

प्रदेश स्तर पर खरीफ दलहनी एवं तिलहनी फसलों की क्षेत्रफल, उत्पादन की स्थिति निम्नवत् है:-

क्षेत्राच्छादन (लाख हे0)

| क्राप | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| दलहन | 8.23 | 8.53 | 8.43 | 8.42 | 8.62 |
| तिलहन | 4.51 | 4.72 | 4.66 | 4.20 | 4.31 |

उत्पादन (लाख मी0टन)

| क्राप | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| दलहन | 5.83 | 5.06 | 6.52 | 6.25 | 6.74 |
| तिलहन | 1.94 | 1.65 | 2.48 | 1.83 | 1.83 |

9. उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत खरीफ-2023 के लिए फसल उत्पादन रणनीति के मुख्य पहलू निम्नवत् है:-

- कृषि निवेशों की समय पर व्यवस्था।
- फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर अप्रोच।
- फसल प्रणाली केंद्रित हस्तक्षेप-दलहन, तिलहन एवं न्यूट्रीशियन को केन्द्र में रखते हुए।
- फसल सघनता में बढ़ोत्तरी।
- बीज प्रतिस्थापन दर एवं किश्म प्रतिस्थापन दर बढ़ाना।
- सिंचाई जल एवं पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता को बढ़ाना।
- उन्नत प्रोद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण।

10. विगत 05 वर्षों में प्रदेश में खरीफ में खाद्यान्न व तिलहन फसलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि निम्नवत् रही:-

क्षेत्रफल- लाख हे0 में

उत्पादन लाख मै0 टन में

| | | खाद्यान्न | | | | तिलहन | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | वर्ष | क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य | प्राप्ति | उत्पादन का लक्ष्य | प्राप्ति | क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य | प्राप्ति | उत्पादन का लक्ष्य | प्राप्ति |
| 1. | 2018 | 89.79 | 84.22 | 201.75 | 198.75 | 4.47 | 4.51 | 2.18 | 1.94 |
| 2. | 2019 | 90.61 | 85.10 | 211.75 | 212.67 | 5.28 | 4.72 | 2.66 | 1.65 |
| 3. | 2020 | 90.63 | 85.86 | 232.24 | 218.29 | 5.29 | 4.66 | 2.91 | 2.48 |
| 4. | 2021 | 90.52 | 85.86 | 235.67 | 202.84 | 5.51 | 4.20 | 3.16 | 1.83 |
| 5. | 2022 | 90.15 | 84.28 | 236.53 | 198.70 | 5.88 | 4.31 | 3.64 | 1.89 |

11. उत्तर प्रदेश में विगत 05 वर्षो में खरीफ में खाद्यान्न व तिलहनी फसलों का उत्पादन निम्नवत रहा है:-

(लाख मी.टन में)

| क्र.सं. | | वर्ष | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | खाद्यान्न उत्पादन | 198.75 | 212.67 | 218.29 | 202.84 | 198.70 |
| 2. | तिलहन उत्पादन | 1.94 | 1.65 | 2.48 | 1.83 | 1.83 |
| योग | | 199.97 | 214.32 | 220.77 | 204.67 | 200.53 |

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि तिलहनी फसलों के उत्पादन में पिछले 5 वर्षो में आशा के अनुरूप बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

**12.** प्रदेश में खरीफ के महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए राष्ट्रीय औसत व ऐसे प्रदेश जिनमें इन फसलों की उत्पादकता सबसे अधिक है उनसे तुलना आवश्यक है। उक्त क्रम में स्थिति निम्नवत है:-

(उत्पादकता कुन्तल प्रति हे0)

| क्र.स. | फसल | प्रदेश में उत्पादकता (2022) | राष्ट्रीय औसत उत्पादकता | अधिकत उत्पादकता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान(चावल) | 26.85 | 27.13 | 43.66 (पंजाब) |
| 2 | बाजरा | 21.70 | 14.36 | 23.72(हरियाणा) |
| 3 | मक्का | 20.88 | 31.95 | 68.20 (तमिलनाडु) |
| 4 | उर्द | 5.70 | --- | --- |
| 5 | तिल | 1.93 | --- | --- |
| 6 | मूंगफली | 11.43 | 16.76 | 23.10 (तमिलनाडु) |

**13.** खरीफ के महत्वपूर्ण फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन व उत्पादकता में विभिन्न जनपदों में व्यापक असमानता है। फसलवार यह स्थिति वर्ष 2022-23 की निम्नवत है:-

| फसल | जनपद जहॉ अधिक उत्पादकता है | उत्पादकता कु/हे. | क्षेत्राच्छादन लाख हे. | जनपद जहॉ न्यूनतम उत्पादकता है | उत्पादकता कु/हे. | क्षेत्राच्छादन लाख हे. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| धान(चावल) | औरैया | 36.99 | 0.51 | जालौन | 13.36 | 0.003 |
| मक्का | एटा | 33.90 | 0.25 | लखनऊ | 3.83 | 0.014 |
| उर्द | मेरठ | 15.35 | 0.01 | महोबा | 1.16 | 0.046 |
| तिल | हरदोई | 6.44 | 0.19 | आगरा | 0.33 | 0.02 |
| मूंगफली | फिरोजाबाद/ मैनपुरी | 29.11 | 0.002/ 0.013 | बांदा | 2.01 | 0.003 |

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अधिकतम उत्पादकता वाले जनपदों के प्रगतिशील कृषकों के यहाँ अन्य जनपदों के कृषकों व वैज्ञानिकों/अधिकारियों को फील्ड विजिट पर/प्रशिक्षण पर भेजा जाना चाहिए।

**14.** कृषकों की आय बढ़ाने के सरकारी की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को कम करना आवश्यक है। खरीफ- 2023 में मानसून के सामान्य रहने की सम्भावना है, जिसके दृष्टिगत खरीफ फसलों की रोपाई व बुआई समय से किया जाना आवश्यक है। खरीफ, 2023 के लिए निर्धारित कुल खाद्यान्न उत्पादन के 239.39 लाख मी.टन एवं तिलहन उत्पादन के 3.73 लाख मी.टन (कुल उत्पादन 243.12लाख मी.टन) के लक्ष्य का फसलवार विवरण निम्नवत है:-

क्षेत्रफल- लाख हे. में
उत्पादन लाख मी.टन में

| क्रम सं. | खाद्यान्न | आच्छादन का लक्ष्य | उत्पादन का लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1 | धान (चावल) | 58.50 | 178.13 |
| 2 | मक्का | 8.00 | 22.16 |
| 3 | बाजरा | 10.10 | 24.80 |
| 4 | ज्वार | 2.20 | 3.48 |
| 5 | अन्य श्री अन्न | 0.15 | 0.15 |
| 6 | उर्द | 7.25 | 5.02 |
| 7 | मूंग | 0.40 | 0.25 |
| 8 | अरहर | 3.60 | 5.40 |
| | **खाद्यान्न** | **90.20** | **239.39** |
| 9 | तिल | 4.25 | 1.42 |
| 10 | मूंगफली | 1.25 | 1.53 |
| 11 | सोयाबीन | 0.50 | 0.78 |
| | **तिलहन** | **6.00** | **3.73** |
| | कुल | 96.20 | 243.12 |

**15.** खरीफ, 2023 के लिए निर्धारित उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीति होगी:-

वर्तमान समय में कृषकों एवं उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि उपाहार क्षेत्रों व बलुई दोमट भूमि में धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलें/अधिक पोषण देने वाली फसलें जैसे-सांवा, कोदो, काकुन, ज्वार आदि को बढ़ावा दिया जाय। इससे कृषि लागत में कमी आयेगी एवं कृषकों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि अधिक उत्पादन वाली उन्नतशील नई प्रजातियों को विशेष बढ़ावा दिया जाय। इसके लिए आवश्यक हो गया है कि बीज प्रतिस्थापन दर (एस.आर.आर.) के साथ-साथ प्रजाति प्रतिस्थापन दर (वी.आर.आर.) को भी प्राथमिकता दी जाय, जिससे नई प्रजातियों से प्रदेश निरन्तर आच्छादित होता रहे। संकर प्रजाति के बीजों विशेषकर धान, मक्का, बाजरा आदि के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। बाढ़ प्रभावित/जलमग्न क्षेत्रों में धान की स्वर्णा सब-1, सांभा सब-1, उन्नत सांभा महसूरी, बीना-11 आदि प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाय। नवीनतम कृषि तकनीक का उपयोग करते हुए बिलम्ब से धान की रोपाई वाले क्षेत्रों में 15 दिन अग्रिम रोपाई की रणनीति तैयार कर क्रियान्वित किया जाय। ड्रम सीडर/सीड ड्रिल से धान की सीधी बुआई को प्रोत्साहित किया जाय। संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु नत्रजनिक, फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को भी मृदा परीक्षण के आधार पर प्रयोग किया जाय तथा जैव उर्वरकों यथा-राइजोबियम कल्चर, एजेटोवैक्टर, पी.एस.बी. व पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टेरिया के कल्चर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाय। भारत सरकार को आयातित एवं स्वयं उत्पादित उर्वरकों पर उनके मूल्य से 4-5 गुना अधिक अनुदान देना पड़ रहा है। इसलिए संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया जाय। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के साथ-साथ हरी खाद, कम्पोस्ट,

वर्मी/नाडेप कम्पास्ट व सिटी कम्पोस्ट का भी प्रयोग कराया जाय। उन क्षेत्रों में जहाँ सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहाँ फसलों की विभिन्न अवस्थाओं हेतु संस्तुत जल की मात्रा के अनुरूप सिंचाई करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाय। फसल सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज बीज शोधन व रोगों/कीटों के नियंत्रण हेतु बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स पर राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान का लाभ उठाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाय। किसानों के शत प्रतिशत बीजों को उपचार करने के बाद ही बुवाई के लिए उत्प्रेरित किया जाय, ताकि बीज जनित रोगों से छुटकारा मिले एवं किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें।

**16.** सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर फसली ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। फसल बीमा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु स्थापित कॉल सेन्टर-1800-889-6868 का व्यापक प्रचार-प्रसार कृषकों के मध्य करते हुए उन्हे योजना में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। दलहन एवं तिलहन (बुलन्देलखण्ड में तिल) की खेती पर विशेष जोर दिया जाय। नवीनतम कृषि तकनीकी के प्रदर्शनों का आयोजन कराया जाय। बीज शोधन, मृदा नमूना के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रयोग, आई.पी.एम., आई.पी.एन.एम., सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आदि के कौशल प्रदर्शन कराये जाय। खेती के साथ-साथ पशुधन का विशेष महत्व होता है, जहाँ एक ओर पशुधन से दूध तथा अन्य उपयोगी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते है वहीं पर पशुपालन से भारी मात्रा में गोबर जीवांश खाद के रूप में प्राप्त होता है, जो मृदा स्वास्थ्य का मूल आधार है। अत: पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन पर विशेष बल दिया जाय। कृषि वानिकी एवं औद्यानिक फसलों के रोपण का कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्पादित किये जाने हेतु नर्सरी एवं पौधों की व्यवस्था की जाय। खरीफ में शाक-भाजी उत्पादन का विशेष महत्व है इसे भी बढ़ावा दिया जाय। किसान काल सेन्टर टोल फ्री नं0-1800-180-1551 पर कृषि सम्बन्धी जानकारी की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग अधिक से अधिक कृषकों को कराने हेतु जागरूक किया जाय। किसान भाई इस पर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर बीहड़, ऊसर, बंजर, जलमग्न भूमियों को सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाय तथा तालाबों का सुदृढ़ीकरण कराकर भूमिगत जल स्तर का सुधार किया जाय एवं इस योजना के अन्तर्गत सुधारी गयी भूमि को कृषि उत्पादन के अन्तर्गत लाया जाय। विशेषकर बुन्दलेखण्ड एवं विन्ध्याचल मण्डल में जल संरक्षण कार्यक्रमों को विशेष रूप से क्रियान्वित किया जाय।

**17. खरीफ उत्पादन लक्ष्य:-**

प्रदेश के जनपदों हेतु खरीफ-2023 में फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं। खरीफ-2023 में कुल खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 239.39 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन 3.73 लाख मीट्रिक टन कुल 243.12लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फसलवार लक्ष्य निम्नवत् है:-

**क्षेत्रफल- 000 हे0**

**उत्पादन- 000 मी0 टन**

**उत्पादकता- कुं0/हे0**

| क्र0 सं0 | फसल का नाम | वर्ष 2021-22 की उपलब्धि | | | वर्ष2022-23 की उपलब्धि | | | वर्ष2023-24 के लक्ष्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पा0 | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पा0 | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पा0 |
| 1 | धान(चावल) | 5969.992 | 15967.925 | 26.75 | 5769.170 | 15490.497 | 26.85 | 6000.000 | 17813.250 | 30.45 |
| 2 | मक्का | 690.789 | 1466.647 | 21.23 | 697.410 | 1456.324 | 20.88 | 800.000 | 2216.000 | 27.70 |
| 3 | बाजरा | 904.547 | 1950.204 | 21.56 | 907.843 | 1970.206 | 21.70 | 1010.000 | 2479.550 | 24.55 |
| 4 | ज्वार | 171.039 | 269.945 | 15.78 | 184.281 | 273.828 | 14.86 | 220.000 | 347.600 | 15.80 |
| 5 | अन्य श्री अन्न | 7.261 | 4.805 | 6.62 | 8.529 | 6.153 | 7.21 | 15.000 | 15.000 | 10.00 |
| 6 | उर्द | 513.980 | 256.151 | 4.98 | 519.645 | 296.040 | 5.70 | 725.000 | 502.425 | 6.93 |
| 7 | मूंग | 37.815 | 13.526 | 3.58 | 39.701 | 12.874 | 3.24 | 40.000 | 25.000 | 6.25 |
| 8 | अरहर | 290.294 | 354.844 | 12.23 | 302.000 | 365.000 | 12.10 | 360.000 | 540.000 | 15.00 |
| **कुल खाद्यान्न** | | **8585.447** | **20284.047** | **-** | **8428.579** | **19870.922** | **-** | **9170.000** | **23938.825** | **-** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | तिल | 313.046 | 70.694 | 2.26 | 322.120 | 62.067 | 1.93 | 425.000 | 142.375 | 3.35 |
| 10 | मूंगफली | 90.452 | 103.043 | 11.39 | 94.649 | 108.217 | 11.43 | 125.000 | 153.125 | 12.25 |
| 11 | सोयाबीन | 16.903 | 8.807 | 5.21 | 14.101 | 12.691 | 9.00 | 50.000 | 77.750 | 15.55 |
| **कुल तिलहन** | | **420.401** | **182.544** | **-** | **430.870** | **182.975** | **-** | **600.000** | **373.250** | **-** |
| **कुल योग** | | **9005.848** | **20466.591** | **-** | **8859.449** | **20053.897** | **-** | **9620.000** | **24312.075** | **-** |

**जनपदवार, फसलवार लक्ष्य संलग्न किए जा रहे हैं। (संलग्नक-1)**

**18.कृषि निवेशों की आपूर्ति के लक्ष्य**:- फसलों के उत्पादन में कृषि निवेशों की न केवल मात्रात्मक उपलब्धता बल्कि उनकी सामयिक प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।

क- **<u>प्रमाणित/संकर बीज</u>**: खरीफ, 2023 में विभिन्न फसलों के प्रमाणित/संकर बीजों के वितरण तथा व्यवस्था का विवरण निम्नवत है:

| **क्र0 सं0** | **फसल** | **खरीफ 2022 की उपलब्धि (मात्रा कुं0 में)** | **खरीफ 2023 में लक्ष्य (मात्रा कुं0 में)** | **बीज प्रतिस्थापन की दर प्रतिशत में खरीफ 2023** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान | 740038 | 740050 | 58 |
| 2 | संकर धान | 210759 | 213000 | 100 |
| धान योग | | 950797 | 953050 | - |
| 3 | मक्का | 21478 | 21500 | 16 |
| 4 | संकर मक्का | 62980 | 64000 | 100 |
| मक्का योग | | 84458 | 85500 | - |
| 5 | ज्वार (श्री अन्न) | 6445 | 7062 | 65 |
| 6 | संकर ज्वार(श्री अन्न) | 8890 | 9200 | 100 |
| ज्वार योग | | 15335 | 16262 | - |
| 7 | बाजरा(श्री अन्न) | 4981 | 9030 | 33 |
| 8 | संकर बाजरा(श्री अन्न) | 20980 | 23000 | 100 |
| बाजरा योग | | 25961 | 32030 | - |
| 9 | कोंदो (श्री अन्न) | - | 359.25 | 52 |
| 10 | सांवा (श्री अन्न) | - | 697.00 | 50 |
| 11 | मंडुवा(रागी) (श्री अन्न) | - | 81.00 | 100 |
| 12 | रामदाना (श्री अन्न) | - | 5.00 | 100 |
| 13 | तिल | 4206 | 4220 | 27 |
| 14 | मूंगफली | 23441 | 23500 | 26 |
| 15 | सोयाबीन | 4010 | 4020 | 30 |
| 16 | उर्द | 33602 | 33600 | 33 |
| 17 | मूंग | 7661 | 7650 | 71 |
| 18 | अरहर | 17660 | 17760 | 40 |
| 19 | कपास | - | - | - |
| 20 | जूट | 2.5 | - | - |
| **योग** | | 1167084 | 1178734 | - |

जनपदवार प्रमाणित एवं संकर बीजों के **लक्ष्य संलग्नक-2 एवं 3** पर दर्शाये गये है।

**19.उर्वरकः-**

प्रदेश में खरीफ-2022 में 48.31लाख मी0टन रसायनिक उर्वरकों का वितरण/खपत हुयी थी। खरीफ-2023 हेतु भारत सरकार ने 52.65लाख मी0टन उर्वरकों की उपलब्धता पर सहमति प्रदान की है, तदनुसार प्रदेश में उर्वरकों के लक्ष्य निम्नवत हैः-

(मात्रा लाख मी0टन)

| क्र0सं0 | उर्वरक | खरीफ 2022 की खपत | खरीफ 2023 के लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1 | यूरिया | 36.27 | 37.15 |
| 2 | डी.ए.पी. | 8.13 | 8.50 |
| 3 | एन.पी.के. | 1.34 | 3.00 |
| 4 | एम.ओ.पी. | 0.36 | 1.00 |
| 5 | एस.एस.पी. | 2.21 | 3.00 |
| **योग** | | **48.31** | **52.65** |
| **6** | **नैनो तरल यूरिया (500 मिली/बोतल)** | **26.25 लाख बोतल** | **30.00 लाख बोतल** |

**जनपदवार उर्वरकों के वितरण के संस्थावार लक्ष्य संलग्नक-04 पर दर्शाये गये है।**

**20. जैव उर्वरक-** खरीफ-2023-24 मेंएन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत 702800जैव उर्वरकों के पैकेटों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

**21. फसली ऋणः-** खरीफ 2022 में रू0 50063.97 करोड़ का अल्पकालीन ऋण कृषकों को प्रदान किया गया था, जो लक्ष्य का 79 प्रतिशत है। खरीफ-2023 में रू0 67333.95करोड का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फसली ऋण कृषकों को कृषि निवेशो को क्रय करने एवं फसल प्रबन्धन में सहायक है और इसकाकृषि उत्पादन वृद्धिमें महत्वपूर्णयोगदान है। खरीफ हेतु लक्षित फसली ऋणो की पूर्ति हेतु कृषि विभाग एवं बैकों के अधिकारियों के मध्य उचित समन्वय तथा आपके दिशा-निर्देशन में अभियान चलाकर लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति अपेक्षित होगी। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-05 पर दर्शाये गये है।**

**22. किसान क्रेडिट कार्डः-** फसली ऋण वितरण में वृद्धि करने के उद्देश्यसे किसान क्रेडिट कार्ड वितरण की योजना वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2022-23में मार्च,2023तक 63.53लाख क्रेडिट कार्ड का वितरण सहकारी एवं व्यवसायिक बैकों द्वारा किया गया। वर्ष 2023-24 में 25.00 नये किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा भीप्रदेश के प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशितकिया गया है। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-06 पर दर्शाये गये है।**

**23. कृषि रक्षा रसायनः-** विगत खरीफ 2022 में 9229.75मी0 टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायनों का वितरण कृषकों में कराया गया। खरीफ 2023 हेतु 9880.00मी0 टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायनों के वितरण का लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किया गया हैः-

| क्र0सं0 | रसायन वर्ग | इकाई | खरीफ 2022 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा) | खरीफ 2023 के प्रस्तावित लक्ष्य (समस्त स्रोतों द्वारा) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कीटनाशक धूल/दानेदार | मी0टन | 3094.45 | 3280.00 |
| 2 | कीटनाशक तरल | कि0ली0 | 813.34 | 670.00 |
| 3 | फफूँद नाशक | मी0टन/कि0ली0 | 877.38 | 780.00 |
| 4 | तृणनाशक | मी0टन/कि0ली0 | 1957.91 | 2150.00 |
| 5 | मूषनाशक/धूम्रक | मी0टन | 82.69 | 90.00 |
| 6 | वायोपेस्टीसाइड्स | मी0टन/कि0ली0 | 2403.98 | 2880.00 |
| **योग** | | | **9229.75** | **9850.00** |

**जनपदवार व संस्थावार कृषि रक्षा रसायनों के लक्ष्य संलग्नक-07 पर दर्शाये गये है।**

**24. बायोपेस्टीसाइड्सः-**एग्रो इकोसिस्टम एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन को अपनाने पर बल दिया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित न हो एवं पर्यावरण तथा कृषि उत्पादन की

गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, जिसके लिये बायोपेस्टीसाइड्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है।फसलों पर कीटनाशी रसायनों के अवशेष तथा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि कीट/रोगों की रोकथाम हेतु रासायनिक उपचार के सुरक्षित रसायनों का प्रयोग किया जाय। खरीफ 2023 में वितरित किये जाने वाले बायोपेस्टीसाइड्स के लक्ष्य निम्नवत है:-

| क्र0 सं0 | बायोपेस्टीसाइड्स का नाम | इकाई | खरीफ2022 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा) | खरीफ2023 के प्रस्तावित लक्ष्य (समस्त स्रोतों द्वारा) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कृषि | अन्य संस्था | योग |
| 1 | नीम आयल | कि0ली0 | 277.13 | 85.00 | 255.00 | 340.00 |
| 2 | ट्राइकोडरमा | मी0टन | 1391.71 | 387.50 | 1162.50 | 1550.00 |
| 3 | ब्यूबेरिया बैसियाना | मी0टन | 634.31 | 167.50 | 502.50 | 670.00 |
| 4 | स्यूडोमोनास | मी0टन | 79.32 | 70.00 | 210.00 | 280.00 |
| 5 | मेटाराइजियम | मी0टन | 9.47 | 3.75 | 11.25 | 15.00 |
| 6 | वर्टीसीलियम | मी0टन | 8.19 | 3.75 | 11.25 | 15.00 |
| 7 | बी0टी0 | मी0टन | 3.21 | 2.25 | 6.75 | 9.00 |
| 8 | एन0पी0वी0 (1000 एल0ई0=1 ली0) | कि.ली. | 0.64 | 0.25 | 0.75 | 1.00 |
| **योग** | | | **2403.98** | **720.00** | **2160.00** | **2880.00** |

**जनपदवार वितरण के लक्ष्य संलग्नक-8 पर दर्शाए गए हैं।**

**25. बायोएजेण्ट्सः**-पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विषरहित खाद्यान्न में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे परजीवी व परभक्षी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है, जो नाशीजीवों का विनाश करते है, जिससे कृषि लागत कम करके अधिक आर्थिक लाभ लिया जा सकता है एवं पर्यावरण तथा कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है।

| क्र0 सं0 | बायोपेस्टीसाइड्स का नाम | इकाई | खरीफ2022 की खपत (समस्त स्रोतों द्वारा) | खरीफ2023 के प्रस्तावित लक्ष्य (समस्त स्रोतों द्वारा) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कृषि | अन्य संस्था | योग |
| 1 | ट्राइकोग्रामा कार्ड | संख्या | 5945 | 9200 | 27600 | 36800 |

**26. कृषि निवेशों की उपलब्धता हेतु समय सारणी**

खरीफ उत्पादन कार्यक्रम की सफलता हेतु कृषि निवेशों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की व्यवस्था बुआई से पूर्व ही कर लेना अति आवश्यक है जिसके लिए विस्तृत कार्य योजना निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाय तथा प्रत्येक जनपद में विकास खण्ड व फसलवार उत्पादन योजना तैयार की जाय। कृषि निवेशों की आपूर्ति निम्न समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय:-

**(1) बीज व कृषि रक्षा रसायन:-**

| क्र0सं0 | कृषिनिवेश का नाम | जनपद स्तर पर उपलब्ध कराने की तिथि | बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध कराने की तिथि | उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ढैंचा बीज | 20 अप्रैल से 10 मई | 24 अप्रैल से | जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो |
| 2 | धान एवं मक्का बीज | 01 मई से 25 मई | 05 मई से | जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो |
| 3 | ज्वार/बाजरा/मूंगफली बीज | 05 मई से 31 मई | 15 मई से | जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो |
| 4 | सोयाबीन/उर्द/मूंग बीज | 05 मई से 31 मई | 30 मई से | जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो |
| 5 | अन्य खरीफ फसलें (बीज)<br>कृषि रक्षा रसायन | 05 मई से 31 मई<br>15 अप्रैल से 15 जून | 30 मई से<br>05 मई से | जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो<br>जि0कृअ0/स0नि0सह0/जि0प्र0एग्रो |

**(2) उर्वरकों की आपूर्ति हेतु समय सारणी:-**

भारत सरकार के स्तर से उर्वरकों का आवंटन माहवार आवश्यकता के सापेक्ष किया जाता है। आवंटन प्राप्ति होने के उपरान्त आपूर्ति व्यवस्था ससमय सुनिश्चित की जाय।

निम्न समय सारणी के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण:-

| स्तर | उ0प्र0 सह0 संघ | उ0प्र0 एग्रो | गन्ना | कृषि विभाग |
|---|---|---|---|---|
| राज्य स्तर | निबंधक, सहकारी समितियॉ | प्रबंध निदेशक | गन्ना आयुक्त | कृषि निदेशक |
| मण्डल स्तर | उप निबंधक, सहकारी समितियां | क्षेत्रीय प्रबंधक | संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त | संयुक्त कृषि निदेशक |
| जनपदस्तर | सहायक निबंधक, सहकारी समितियॉ | जिला प्रंबंधक | जिला गन्ना अधिकारी | उ0कृ0नि0/जिला कृषि अधिकारी |
| विकास खण्ड | स0वि0अ0 | प्रभारी बिक्री केन्द्र | ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक | व0प्रा0सहा0ग्रुप-बी |
| बिक्री केन्द्र | सचिव, सहकारी समितियॉ | - | सचिव, गन्ना समिति | प्रभारी बीज भण्डार |

**27- फसल सघनता में वृद्धि:-**

फसल सघनता में वृद्धि हेतु कृषकों को दो या तीन फसल लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। खरीफ में खाली पडे क्षेत्रों का कृषि में उपयोग एवं जायद में सिंचित क्षेत्रों में खेती को बढावा देने की आवश्यकता है। उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग कर फसल सघनता बढाने हेतु निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं:-

- प्रदेश में अभी भी काफी भूमि है विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जहॉ खरीफ में कोई भी फसल नहीं ली जा रही है वहॉं प्रयास कर खरीफ क्षेत्राच्छादन को बढाया जाय।
- उपरहार क्षेत्र जहां सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहॉपर अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाय जिसके उपरान्त उसी खेत में तोरिया, उर्द आदि की फसल ली जा सके इससे उत्पादन बढ़ने के साथ ही फसल सघनता में वृद्धिहोगी।
- सुनिश्चित सिचाई वाले क्षेत्रों में जायद की फसल लेने हेतु विशेष बल देने की आवश्यकता है। ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को भी बढ़ावा दिया जाय, जिससे उपलब्ध जल की बचत के साथ ही अधिकाधिक क्षेत्र की सिचाई हो सके।

**28.उत्पादकता में वृद्धि**:-

कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता एवं नवीन तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। धान्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित/आधारीय बीज तथा संकर बीजों को बढ़ावा देना प्रस्तावित है, जिसके लिए विभिन्न स्रोतों से 9.14 लाख कुं0 उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित बीज तथा 3.10 लाख कुन्तल संकर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि निर्यात क्षेत्र विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बासमती धान की प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जाय।

- **प्रदेश में विभिन्न फसलों की उपलब्ध प्रजातियों की क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादकता बहुत कम है। अतः उत्पादकता में अपेक्षित सुधार के लिये विशेष प्रयास करना होगा।**
- न्याय पंचायतों में कृषि निवेशों की उपलब्धता, विशेष रूप से उन्नत प्रमाणित बीजों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के साथ-साथ कौशल प्रदर्शनों द्वारा उन्नत कृषि प्राविधिकी की जानकारी दी जाय। प्रशिक्षणो/तकनीकी जानकारी सत्रो में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाय।
- प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन सुनिश्चित करने एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि वर्षा पर निर्भरता घटायी जाय। इसके लिए जिन क्षेत्रों में सुनिश्चित सिंचाई के साधन हैं वहॉ पर वर्षा के ठीक पूर्व पलेवा देकर बुवाई/रोपाई की जाय जिससे वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व फसलों का जमाव सुनिश्चित हो जाये तथा विगत वर्षो में अनुभव किए गये सूखे की यदि पुनरावृत्ति हो तो उसके प्रभाव को कम किया जा सके।
- जनपद/क्षेत्र पंचायत स्तरीय अधिकारियों को विशेष अनुश्रवण के लिये न्याय पंचायतें आवन्टित की जाय और उनका मूल्यांकन किया जाय।

**29.कृषि निवेशों की सामयिक व्यवस्था:-**

**उन्नतशील प्रमाणित बीज**

प्रदेश में खरीफ की मुख्य फसल धान है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 57.69 लाख हेक्टेयर है। विशेष रूप से धान की उत्पादकता वृद्धि पर विशेष बल दिया जाय। सिद्धान्त: ''बीज प्रतिस्थापन दर'' अर्थात प्रमाणित बीज की उपलब्धता द्वारा लगभग 20 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि संभावित रहती है, इसलिये वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान का ''बीज प्रतिस्थापन दर'' का लक्ष्य 58 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। प्रजाति प्रतिस्थापन दर (VRR) जो किउत्पादकता वृद्धि का एकमहत्वपूर्ण आयाम है, उसे बढ़ाने के लिए धान्य व दलहनी फसलों की 10 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों एवं तिलहनी फसलों के 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों को बढ़ावा देने हेतु 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है। उपरोक्त के अतिरिक्त संकर प्रजातियों के वितरण का भी प्रस्तमाव है। मुख्य रूप से संकर धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का के बीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। खरीफ 2023 में 2.13लाख कुन्टल नोटीफाइड/टी0एल0 संकर धान बीज वितरण का लक्ष्य है। इसी प्रकार संकर मक्का, ज्वार एवं बाजरा के बीजों की प्रचुर उपलब्धता होगी। खरीफ में वितरित होने वाले समस्त बीजों को डी0बी0टी0 प्रक्रिया द्वारा पूर्ण किया जायेगा, जिसमें अनुमन्य अनुदान की धनराशि कृषकों के बैक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी। कृषकों को पूरे मूल्य पर बीज क्रय करना होगा। विगत वर्ष खरीफ2022-23में डी0बी0टी0 प्रक्रिया का संचालन सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया है।वर्तमान वर्ष में खरीफ की दलहनी फसल अरहर, उर्द एवं मूंग के भी प्रमाणित उन्नतशील बीज की प्रचुरता रहेगी। बीज शोधन के बाद दलहनी बीजों की बुवाई पर विशेष बल दिया जायेगा। विशेष रूप से बुन्देलखण्ड तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग व तिल की खेती को बढ़ावा दिया जाय।रोगों से बचाव के लिये बीज शोधन का कार्य विशेष रूप से कराया जाय। ऐसे कृषक जो स्वयं उत्पादित बीज प्रयोग करते हैं, उनको बीज शोधन हेतु प्रेरित करें। शत प्रतिशत बीज का शोधन के पश्चात ही बीजों का उपयोग किया जाय।गुणवत्तायुक्त बीज समस्त कृषकों को सुलभ हो इसके लिए ''बीज ग्राम योजना'' जिसमें बीज-कृषक स्तर पर तैयार किया जाता है, के कार्यक्रम में कृषकों की प्रतिभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित कराई जाए।

**30.उर्वरकों का वितरणः-**

दिनांक 15 फरवरी, 2023 को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जोनल कान्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश हेतु खरीफ-2023 में 37.15लाख मी0टन यूरिया, 30.00 लाख बोतल (500मि0ली0/बोतल) नैनो तरल यूरिया,8.50लाख मी0टन डी0ए0पी0, 3.00लाख मी0टन एन0पी0के0,1.00 लाख मी0टन एम0ओ0पी0 एवं 3.00 लाख मी0टन एस0एस0पी0 के वितरण का लक्ष्य अनुमोदित किया गया है। इसका माहवार/जनपदवार विभाजन जनपदों को अलग से उपलब्ध कराया गया है।उर्वरकों की आपूर्ति के संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रदेश के मासिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार प्रतिमाह फर्टीलाइजर मूवमेन्ट सप्लाई प्लान निर्गत करती है, जिसका जनपदवार/कंपनीवार विभाजन कर जनपदों की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। बहुधा यह अनुभव किया गया है कि जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता मासिक आवश्यकता के आधार पर उर्वरकों की आपूर्ति करती है। अतः जनपदों में भी उपलब्धता की स्थिति मासिक लक्ष्य के सापेक्ष ही देखी जानी चाहिये।वर्तमान खरीफ में रबी 2023-24 हेतु भी यूरिया एवं फास्फेटिक(डी0ए0पी0+एन0पी0के0) उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण (प्रीपोजीशनिंग) करने का निर्णय प्रदेश शासन ने लिया है एवं यह आशा की जाती है कि जनपदों को खरीफ की आवश्यकता से अधिक यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरक प्राप्त होगा।

यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में प्राप्त होने वाले उर्वरकों का निर्धारित मूल्य पर वितरण हो। कलाबाजारी, इण्डस्ट्रीयल डायवर्जन, जमाखोरी तथा अन्तर्राज्जीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से होने वाली तस्करी पर कठोरता से नियन्त्रण किया जाये। विगत वर्षों की भाँति आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी अपने स्तर से विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती करते हुए उनकी देख-रेख में कृषकों को उनकी कृषित भूमि/फसल हेतु निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार उर्वरकों की मात्रा का वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर ही करवाना सुनिश्चित करें।

एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उर्वरकों की बिक्री हेतु पावती(एकनालेजमेन्ट) की व्यवस्था के दृष्टिगत उर्वरक निर्माताओं से थोक विक्रेता और थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता तक उर्वरकों के पावती(एकनालेजमेन्ट) की व्यवस्था भौतिक रूप से स्टाक प्राप्त होते ही तत्समय की जाये, जिससे कृषकों को उर्वरक वितरण के साथ-साथ ही डी0बी0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत वास्तविक क्रेता का नाम दर्ज हो सके। भौतिक रूप से जैसे ही उर्वरकों का प्रेषण होता है वैसे ही आनलाईन प्रणाली को भी आद्यावधिक करना सुनिश्चित कराया जाये और इसमे विलम्ब करने वाले थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ

कार्यवाही की जाये। कृषकों के द्वारा लगभग 40 दिन की अवस्था पर दानेदार यूरिया की द्वितीय टाप ड्रेसिंग में दानेदार यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो तरल यूरिया का स्प्रे मशीन द्वारा छिड़काव कराये जाने हेतु कृषकों में जागरूकता हेतु जनपद, ब्लाक एवं न्याय पंचायत स्तरीय गोष्ठियो में एवं किसान पाठशालाओं के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार कराया जाये।

**31.कृषि रक्षा कार्यक्रम:-**

कृषि उत्पादन में जहाँ एक ओर उन्नतशील बीजों, उर्वरकों का महत्व है वहीं फसल सुरक्षा हेतु कृषि रक्षा कार्यक्रमों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशक रसायनों की तुलना में बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स का महत्व अधिक हो गया है, क्योंकि इनके प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रेजिड्यू विषाक्तता नगण्य होती है। परिणामस्वरूप फसलों के कीटों/रोगों से सुरक्षा में इनके उपयोग में निरन्तर वृद्धि हो रही है । गुणवत्तायुक्त उत्पादन हेतु धान में आई0पी0एम0 कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा।तना एवं फली बेधक कीट की रोकथाम हेतु क्रमशः ट्राइकोकार्ड एवं एन0पी0वी0 के प्रयोग को पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई है, इससे न केवल खाद्यान्न, दलहनी एवं तिलहनी फसलों को लाभ हुआ है, अपितु गन्ना एवं सब्जियों पर भी इसका प्रयोग काफी लाभप्रद रहा है। उकठा, जड़ गलन, तना गलन तथा अन्य फफूंदी जनित रोगों के उपचार हेतु ट्राइकोडरमा तथा ब्यूबेरिया बैसियाना का प्रयोग व्यापक स्तर पर प्रारम्भ हुआ है तथा बीज शोधन एवं भूमि शोधन में भी इसका प्रयोग दिनों-दिन बढ़ रहा है। प्रदेश की विभागीय आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में बायोपेस्टीसाइड्स जैसे ट्राइकोडरमा, ब्यूवेरिया बैसियाना, एन0पी0वी0 तथा बायोएजेन्ट ट्राइकोकार्ड उत्पादित किये जा रहे है, जिनका प्रयोग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ सामान्य वितरण तथा आयोजित प्रदर्शनों आदि में किया जाता रहा है।बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स का प्रयोग विभिन्न कीटों/रोगों के नियंत्रण में प्रभावी है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इनका प्रयोग सुनिश्चित किया जाय। कृषको के खेतों पर कम से कम एक एकड़ में हाफ फील्ड कौशल प्रदर्शन आयोजितकराये जाय।एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के बायोपेस्टीसाइड्स एवं वायोएजेन्ट उपलब्ध हैं।

**32.कृषि यंत्रों को प्रोत्साहन:-**

कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा फसल उत्पादन में होने वाले व्यय को कम करने के लिए कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके उपयोग से धन एवं समय की बचत के साथ-साथ कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। कृषि विभाग द्वारा भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देनें के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइनेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना चलाई जा रही है, इसके साथ ही एम0एन0ओ0पी0, एन0एफ0एस0एम0एवं कृषि रक्षा अनुभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों पर किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

**(अ).सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना:-**

**फाइनेन्शियल असिस्टेन्स फार प्रोक्यूरमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी एण्ड इक्यूपमेन्ट (घटक संख्या-3)-**प्रदेश में अधिकांश कृषक लघु एवं सीमान्त हैं साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नही है कि अधिक लागत के आधुनिक कृषि यंत्र जैसे लेजर लैण्ड लेवलर, रीपर, रीपर कम्बाइन्डर, स्ट्रारीपर, रोटावेटर, सिड ड्रिल/जीरो टिल, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, राइस ट्रांसप्लान्टर, हैरो, फ्रूट ग्रेडर, ग्राउन्ड नट पॉड स्ट्रीपर, स्ट्राचापर, हैप्पी सीडर, कल्टीवेटर, नैपसेक स्प्रैयर, पावर आपरेटेड स्प्रैयर आदि क्रय कर सकें। अतः प्रदेश के कृषकों तक कृषि यंत्रीकरण का लाभ पहुंचाने हेतु योजनान्तर्गत अनु0जाति, अनु0 जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों को क्रय मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत तक तथा अन्य कृषकों को अधिकतम 40 प्रतिशत तक यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

**कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना (घटक संख्या-4)-**विकास खण्ड/तहसील/जिला स्तर पर कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु ग्रामीण उद्यमी, पंचायत समिति, सहकारी समिति एवं कृषक उत्पादक संघ को परियोजना लागत (अधिकतम रू0 10.00 लाख) का 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 4.00 लाख तक अनुदान देय है, जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय सेएवं सुगमतापूर्वक सम्पन्न कर सकें।

**फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना (इनसीटू योजना से सम्बद्ध)-** विकास खण्ड/तहसील/जिला स्तर पर फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना हेतु पंचायत/सहकारी समिति/कृषक उत्पादक संघ को परियोजना लागत (अधिकतम रू0 10.00 लाख) का 80 प्रतिशत अधिकतम रू0 8.00 लाख तक अनुदान देय है, जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रो को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय सेएवं सुगमतापूर्वक सम्पन्न कर सके।

उपरोक्त योजना में लाभार्थी का चयन पंजीकरण के क्रम में "प्रथम आवक प्रथम पावक" के आधार पर किया जाता है।

**33. ड्रोन प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं क्रय पर अनुदान:**

- एफ0एम0टी0टी0आई0, आई0सी0ए0आर0संस्थान, के0वी0के0 एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि ड्रोन प्रदर्शन हेतु ड्रोन एवं उसके सहायक यंत्रों के क्रय करने पर 100 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10 लाख जो कम हो देय होगा।
- एफ0पी0ओ0 को कृषि ड्रोन प्रदर्शन हेतु ड्रोन एवं उसके सहायक यंत्रों के क्रय करने पर 75 प्रतिशत अथवा अधिक रू0 7.50 लाख जो कम हो देय होगा।
- कस्टम हायरिंग सेंटर के विस्तार या स्थापना अन्तर्गत ड्रोन एवं उसके सहायक यंत्रों की खरीद पर कृषि स्नातकों को 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 05 लाख तक अनुदान।
- पंजीकृत सहकारीसमितियो, एफ0पी0ओ0/पंचायत समिति एवं ग्रामीण उद्यमी को कस्टम हायरिंग सेन्टर के विस्तार या स्थापना हेतु 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 4.00 लाख तक अनुदान।
- ड्रोन प्रदर्शन हेतु रू. 6000/- प्रति हे.।

**34.प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजनाः-**

एक टन धान का पुआल जलाने से 5.5 किग्रा0 नाइट्रोजन, 2.3 किग्रा0 फास्फोरस पेन्टाआक्साइड, 25 किग्रा0 पोटैशियम आक्साइड, 1.2 किग्रा0 सल्फर, 50-70 प्रतिशत माइक्रोन्यूट्रिएन्ट एवं 400 किग्रा0 कार्बन का क्षय होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है। 1 टन धान की पुआल जलाने से 3 किग्रा0 कणिका तत्व, 60 किग्रा0 कार्बन मोनो आक्साइड, 1460 किग्रा0 कार्बनडाई आक्साइड, 199 किग्रा0 राख और 2 किग्रा0 सल्फरडाई आक्साइड निकलता है, जो वायु को प्रदूषित करता है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फसल अवशेष प्रबन्धन में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों को बढावा देने से फसल अवशेष को जलाने की घटना मे कमी आती है, जिससे वातावरण प्रदूषण में कमी आती है साथ ही मिट्टी की उर्वरा क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना के विभिन्न घटकों के माध्यम से किसानों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

**(क) फार्म मशीनरी बैक की स्थापना (घटक संख्या-1)-** विकास खण्ड/तहसील/जिलों में ग्राम स्तर पर फार्म मशीनरी बैक (फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी यंत्र) की स्थापना हेतुपंचायत/सहकारी समिति एवं कृषक उत्पादक संघको कृषि यंत्रों में कम से कम 35 प्रतिशत इन सीटू क्राप रेजिड्यू मैनेजमेन्ट यंत्र (इन यंत्रों को इम्पैनल्ड कम्पनियों से क्रय करना अनिवार्य होगा) सम्मिलित करना अनिवार्य होगा जिस पर लागत का 80 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4.00 लाख की सीमा तक) अनुदान देय होगा तथा अन्य कृषि यंत्रों की लागत पर 80 प्रतिशत (एस0एम0ए0एम0 गाइड लाइन के अनुसार) तक अनुदान देय होगा, जिससे किसान इन केन्द्रों से किरायें पर फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर आवश्यकतानुसार फसल अवशेष प्रबन्धन कर सकें।

**(ख) प्रोक्यूरमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी एण्ड इक्यूपमेन्ट फार इन सीटू क्राप रेजीड्यू मैनेजमेन्ट (घटक संख्या-2)**

प्रदेश में अधिकांश कृषक लघु एवं सीमान्त हैं साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अधिक लागत के इन सीटू क्राप रेजीड्यू मैनेजमेन्ट हेतु उपयेागी आधुनिक कृषि यंत्रो जैसे-सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर,पैडी स्ट्राचापर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/कटर कम स्प्रेडर, रिवर्सेबुल एम0बी0 प्लाऊ रोटरी स्लैशर, जीरो टिल ड्रिल तथा स्मार्ट सीडर क्रय कर सकें। योजनान्तर्गत कृषकों को इम्पैनल्ड कम्पनियों से यंत्र क्रय करने पर क्रय मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाय।

**35.ड्रम सीडरः-**

ड्रम सीडर से धान की सीधी बुवाई की जाती है। इस यंत्र के प्रयोग से धान की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करने या रोपाई करने की आवश्यकता नही होती। धान के बीजों को भिगोकर जब उनमें अंकुरण होने लगे तबड्रम सीडर में डालकर सीधी बुवाई की जाय, बुवाई के समय खेत में पानी न हो बल्कि सिर्फ कीचड़ होना चाहिए तथा बुवाई के 24 घंटे तक वारिश न हो अन्यथा बीज तैर जायेगें। नर्सरी तैयार करते समय बीज शोधन अवश्य किया जाय, जिससे बीजों को चिड़िया नहीं चुगेंगी। परम्परागत विधि से जहॉ एक हे0 धान की रोपाई के लिए 50 से 55 श्रमिकों की आवश्यकता होती है वहीं इस विधि के द्वारा 1 श्रमिक 8 घंटे में 1 हे0 खेत की बुवाई कर सकता है। इस विधि के प्रयोग से धान की खेती की लागत में 65 से 67 प्रतिशत कमी पायी गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, हरित क्रान्ति तथा सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत ड्रम सीडर पर अनुदान देय है। अधिकाधिक कृषकों को ड्रम सीडर क्रय करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

**36.कटाई के बाद प्रबन्धनः-**

खरीफ फसलों की कटाई के बाद का प्रबन्धन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योकि नमी अधिक होने की दशा में भण्डारित अनाज/बीज जल्दी खराब होता है। अतः भण्डारण से पहले और फसल कटाई के बाद की समस्त आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाकर अनाज/बीज को सुरक्षित रखा जाय। माननीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा फसल अवशेषो को जलाये जाने पर रोक लगाई गयी है। इस सन्दर्भ में विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्देश भी जारी किये गये है, उनका कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए लघु/सीमान्त कृषको को विभिन्न फसलों की कटाई के लिए नये कटाई यंत्रो के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु आर0के0वी0वाई0 से प्रदर्शनों/वितरण हेतु अलग से योजना भी बनायी जाय।

**37.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन खरीफ-2023 योजनान्तर्गत कार्यक्रमः-**

इस योजना के विभिन्न घटकों को प्रदेश के जनपदों में निम्नानुसार संचालित किया जाना हैः-

| घटक | चयनित जनपद |
|---|---|
| चावल घटक(21 जनपद) | अलीगढ़, बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, रामपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती |
| दलहन घटक(समस्त 75 जनपद) | समस्त 75 जनपद |
| गेहूँ घटक(29 जनपद) | हाथरस, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ, मऊ, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, लखनऊ, अयोध्या, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती |
| कोर्स सीरियल्स(मक्का एवं जौ) | मक्का (13 जनपद)- बहराइच, कन्नौज, मैनपुरी, जौनपुर, गोण्डा, बुलन्दशहर, हरदोई, कासगंज, फर्रूखाबाद, बलिया, उन्नाव, एटा व ललितपुर<br>जौ (19 जनपद)- बुलन्दशहर, ललितपुर, एटा, जालौन, अलीगढ, फिरोजाबाद, सोनभद्र, गाजीपुर, झांसी, महोवा, कानपुर नगर, आगरा, कानपुर देहात, प्रयागराज, चित्रकूट, मथुरा, मिर्जापुर, बलिया तथा हमीरपुर |
| न्यूट्री सीरियल्स<br>(ज्वार, बाजरा, सांवा व कोदों) | ज्वार-(05 जनपद)- बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर।<br>बाजरा (19 जनपद)- आगरा, अलीगढ, प्रयागराज, औरैया, |

| | |
|---|---|
| | बदायूँ, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हाथरस, जालौन, कानपुर देहात, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, प्रतापगढ एवं सम्भल<br>सांवा व कोदो (1 जनपद)- सोनभद्र |
| कामर्शियल क्राप(जूट, कपास व गन्ना) | जूट (5 जनपद)- सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बहराइच एवं श्रावस्ती<br>कपास (4 जनपद)- आगरा, मथुरा, अलीगढ एवं हाथरस<br>गन्ना (26 जनपद)- सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, अयोध्या, महराजगंज एवं गोरखपुर। |

**38. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत कार्यकलाप (चावल, गेहूँ, दलहन, कोर्स सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल्स व कामर्शियल क्राप्स घटक):-**

- उन्नतशील तकनीक आधारित क्लस्टर प्रदर्शनों का निःशुल्क आयोजन।
- फसल पद्धति आधारित प्रदर्शनों में आयोजित कृषक प्रशिक्षण का निःशुल्क आयोजन। प्रत्येक प्रशिक्षण में 30 कृषक प्रतिभाग करेगें।
- दलहनी फसलों की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज पर वितरण रू0 5000.00 प्रति कुं0 तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 2500.00 प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है।
- धान, मक्का, ज्वार, बाजरा के संकर बीज वितरण पर रू0 10000/- प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य है।
- धान की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली उन्नतशील प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 2000.00 प्रति कुं0 तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 1000.00 प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है।
- मक्का, ज्वार, बाजरा की संकुल तथा जौ, कोदो एवं सांवा की उन्नतशील 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 3000.00 प्रति कुं0 तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 1500.00 प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य।
- दलहनी फसलों की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली सभी प्रजातियों के प्रमाणित बीजोत्पादन पर रू0 5000.00 प्रति कुं0 तथा न्यूट्री सीरियल्स (ज्वार, बाजरा, सांवा व कोदो) की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली सभी प्रजातियों के प्रमाणित बीजोत्पादन पर रू0 3000.00 प्रति कुं0 की प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य।
- एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन (सूक्ष्म पोषक तत्व, मृदा सुधारक तथा बायोफर्टीलाइजर) एवं एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन (कृषि रक्षा रसायन व खरपतवारनाशी) पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित धनराशि जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य।
- कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु मूल्य का 50 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा निर्धारित धनराशि जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य।
- सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर सेट्सपम्पसेट तथा पाईप के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित धनराशि जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य।

- लोकल इनिशिएटिव मद के अन्तर्गत सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर का निर्माण हेतु न्यूनतम 10 कृषकों के समूह कोरू0 170000/-छोटा गोदाम 56.25 वर्गमीटर का बनाने पर 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है जो अधिकतम रू0 3.34 लाख देय होगा। मिनी दाल मिलरू0 40000/-/तिरपाल (छोटा एवं बड़ा) पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित धनराशि जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य तथा बखारी 5.00 कु0 क्षमता पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रू0 1500/- देय होगा।

**39. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर(एन0एम0एस0ए0)-** कृषि उत्पादकता को सतत् बनाना प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा एवं जल की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। कृषि उत्पादकता को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रयोग को बढ़ावा देकर इस्तेमाल योग्य बनाए रखा जा सकता है। इसी अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत तीन मुख्य घटक हैः-

**अ- रेनफेड एरिया डेवलपमेंट(आर0ए0डी0)-**इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 35 जनपदों में संचालित 57 भू0सं0 ईकाइयों द्वारा कार्य किया जा रहा है, इस योजना के अन्तर्गत एक कृषक परिवार को दो हेक्टेयर जोत सीमा तक सम्पूर्ण योजनाकाल में अधिकतम रू. 1.00 लाख का अनुदान देय है, जो कि विभिन्न कृषि प्रणाली यथा दुग्ध आधारित, बागवानी आधारित, पशुधन आधारित, कृषि वानिकी एवं मत्स्य आधारित और मूल्य सम्वर्धन के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन, ग्रीन हाऊस, वर्मी कम्पोस्ट, साइलेज मेकिंग, पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रक्चर कार्यो पर 50 प्रतिशत का अनुदान देय है। योजनान्तर्गत कृषकों को कृषि विज्ञान केन्द्रों पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 मेंभारत सरकार से रू0 7144.87 लाख की कार्य योजना स्वीकृति के सापेक्ष मात्र रू0 3744.62 लाख की वित्तीय उपलब्धता हुयी जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 3388.03 लाख का व्यय किया गया है, जिसमें क्लस्टर आधार पर 6480 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 10314 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु रू0 7265.08 लाख का प्राविधान स्वीकृत किन्तु वर्तमान तक भारत सरकार से रू0 3050.00 लाख का एलोकेशन केन्द्रांश के रूप में निर्धारित हुआ है। राज्यांश को सम्मिलित करते हुए योजनान्तर्गत रू. 5083.00 लाख व्यय किया जा सकेगा, जिसके अन्तर्गत चयनित जनपदों के परियोजना क्षेत्र में क्लस्टर आधार पर किसानों को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

**ब.परम्परागत कृषि विकास योजना एवं स्वच्छता एक्शन प्लान नमामिगंगे क्लीन अभियान-**जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन को कायम रखते हुए, कम लागत वाली कृषि तकनीकि अपनाकर खेती करना है। इसके अन्तर्गत रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन किया जायेगा, जिससे कृषि लाभकारी होगी एवं कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार होगा तथा कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान होगा। जैविक खेती को अपनाने से किसान कृषि निवेशों के मामले में आत्मनिर्भर होंगे।योजना के अन्तर्गत वर्षा आधारित कृषि वाले क्षेत्र, परम्परागत कृषि करने वाले क्षेत्र, कम उर्वरक प्रयोग किये जाने वाले क्षेत्र एवं जहॉ पर कृषि उत्पादकता कम है, ऐसे क्षेत्रों का चयन जैविक खेती के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2022-23 में परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत 1785 क्लस्टर (35700 हे0 क्षेत्रफल) में जैविक खेती का क्रियान्वयन किया गया है।वर्ष 2023-24 में पूर्व से संचालित 1785 क्लस्टर (35700 हे0 क्षेत्रफल) मेंकार्य किया जाना है,स्वच्छता एक्शन प्लान, नमामि गंगे क्लीन अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में 2609 क्लस्टर (52180 हे0 क्षेत्रफल) में जैविक खेती का कार्य संचालित किया गया है,वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित 2609 क्लस्टर (52180 हे0 क्षेत्रफल) तथा 2000 नएक्लस्टर (40000 हे0 क्षेत्रफल) में जैविक खेती के क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की योजनावधि 3 वर्ष है। भारत सरकार की संशोधित गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक क्लस्टर को प्रथम वर्ष धनराशि रू0 3.30 लाख,द्वितीय वर्ष में रू0 3.40 लाख एवं तृतीय वर्ष में रू0 3.30 लाख /-(तीन वर्षो हेतु कुल रू0 10.00 लाख) की सुविधा क्षमता विकास, फसल प्रबन्धन एवं सुरक्षा, जैविक प्रमाणीकरण, मूल्य सम्बर्धन तथा विपणन पर व्ययकिया जाना है, जिसमें से 62 प्रतिशत धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषको को वायोइनपुट प्रबन्धन एवं फसल सुरक्षा पर देय है। क्लस्टर में चयनित कृषकों को अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्रफल की सीमा तक अनुदान अनुमन्य है।

**स. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत (नेशनल प्रोजेक्ट आन स्वायल हेल्थ एवं फर्टीलिटी) कार्यक्रम-**

**वर्ष 2022-23 की उपलब्धि**

योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में लक्षित 6.17 लाख मृदा नमूनों के सापेक्ष 5.91 लाख मृदा नमूनों का एकत्रीकरण पूर्ण किया गया है।

**वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित लक्ष्य-**

योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदेश की 7500 ग्राम पंचायतों से 7.50 लाख मृदा नमूनों का एकत्रीकरण, विश्लेषण कर कृषकों को नि:शुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रदेश में 750 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की एग्रीजंक्शन पर स्थापना एवं 5 जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढींकरण किया जाना प्रस्तावित है।

**राज्य योजनान्तर्गत संचालित जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम-**

**वर्ष 2022-23 की प्रगति:-**

वित्तीय वर्ष 2022-23 में 652378 जैव उर्वरक पैकेट का वितरण किया गया।

**वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित लक्ष्य:-**

योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में 17.57 लाख जैव उर्वरक पैकेट का उत्पादन कर कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर वितरण कराया जाना प्रस्तावित है।

**40. प्रदेश में वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजनाः-**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के समस्त जनपदों(गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) में वर्षा तथा जल संचयन हेतु 10000 खेत तालाब निर्माण लक्ष्य के बजट की उपलब्धता के आधार पर 6306 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2023-24 में 5550 खेत तालाब निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 2023-24 में भी पूर्व की भाँतिकृषकों को आनलाईन पंजीकरण द्वारा योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

**41. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनाः-**

वर्ष 2013-2014 से प्रदेश के समस्त जनपदों में सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्प की योजना संचालित की जा रही थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना संचालित की जा रही है। सिचाई व्यवस्था में विद्युत की सामयिक अनुपलब्धता, बाधाओं एवं डीजल चालित पम्प सेटो से पर्यावर्णीय परिवर्तन में कमी लाने के दृष्टिकोण से वैकल्पिक ऊर्जा के रूप मे सोलर पम्प को सिचाई व्यवस्था के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। सोलर पम्प की स्थापना से न केवल विद्युत ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि ईधन इत्यादि के आवर्ती व्यय में भी कमी आयेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से इस योजना को आकर्षित करने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है।भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एण्ड रिन्यूवल एनर्जी विभाग द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार केन्द्र सरकार एवं राज्य सररकार द्वारा 1 एच0पी0 से 7.5 एच0पी0 तक के सोलर पम्पों पर मूल्य का 30-30 प्रतिशत कुल 60 प्रतिशतअनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्रांश के रूप में अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा हैतथा 10 एच0पी0 के सोलर पम्पों पर 7.5 एच0पी0 पर अनुमन्य अनुदान कृषको को उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 अन्तर्गत प्रदेश में 13063 कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न क्षमता के42550 सोलर पम्पोंकी स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

**42.पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि एवं मनरेगा योजनाः-**

पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना वर्ष 2022-23 में बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में (गौतमबुद्धनगर को छोड़कर)संचालित की गयी है।

योजनान्तर्गत 43850 हे0 लक्ष्य के सापेक्ष 41728 हे0 समस्या ग्रस्त बीहड़/बंजर व जलभराव क्षेत्र का उपचार किया गया है। वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत 43850 हे0 समस्या ग्रस्त क्षेत्र अन्तर्गत बीहड़/बंजर 35600 हे0 व जलभरावाले 8250हे0क्षेत्र का उपचार/वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित है।

**43.राज्य योजनान्तर्गत संचालित जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग कोप्रोत्साहित करने का कार्यक्रम वर्ष 2023-24**

- योजनान्तर्गत जैव उर्वरक व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। कृषकों को जैव उर्वरक उत्पादन के लागत मूल्य रू. 21/- प्रति पैकेट (200 ग्राम) का 75 प्रतिशत, अनुदान धनराशि रू. 15.75 प्रति पैकेट डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खाते में प्रदान किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में 652381जैव उर्वरक पैकेटों का वितरण किया गया है।
- वर्ष 2023-24 में जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजनान्तर्गत 17.57 लाख जैव उर्वरक पैकेट (राइजोबियम, एजोटोवैक्टर तथा पी0एस0बी0) का उत्पादन कर कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर वितरण कराया जाना प्रस्तावित है।

**44. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE)**

कृषि प्रसार के लिए उप मिशन**(SMAE)** का उद्देश्य विद्यमान प्रसार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (IT) स्कीम को सुदृढ़, विस्तृत एवं उच्चीकृत करना है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित होते हैं। जिलाधिकारी द्वारा जनपद की एग्रीकल्चर टेक्नालोजी मैनेजमेन्ट एजेन्सी (ATMA) की गर्वनिंग वोर्ड की त्रैमासिक बैठक में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाय।

**सामान्य कार्यक्रमः-**

- कृषि एवं सहयोगी विभागों के प्रदर्शनों का आयोजन।
- कृषक-वैज्ञानिक संवाद का आयोजन।
- कृषक गोष्ठी एवं क्षेत्र दिवसों का आयोजन।
- कृषकों में जागरूकता पैदा करने तथा दक्षता विकास हेतु भ्रमणों का आयोजन।
- कृषक हितार्थी समूहों का गठन एवं क्षमता विकास।
- उपयोगी कृषि साहित्य का प्रकाशन।
- कृषि विकास में निजी क्षेत्रों की भागदारी बढ़ाना।
- कृषि में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- फार्म स्कूलों का आयोजन।
- कृषि से सम्बन्धित सफलता की कहानियों का प्रकाशन एवं प्रसार।
- अनुसंधान - प्रसार - कृषक - बाजार कड़ी के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयास करना।
- स्थानीय स्तर पर कृषि विभाग केन्द्रों/रीजनल अनुसंधान केन्द्रों की सहायता से कृषि तकनीक का परीक्षण एवं परिष्करण।
- कृषक पुरस्कार

**नवोन्मेषी कार्यक्रम -राज्य स्तरीय**

- एग्री-क्लीनिक स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षित एग्रीप्रीन्यूर्स के माध्यम से प्रसार-कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- कृषि-प्रसार-प्रबन्धन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (मैनेज के माध्यम से)।

**<u>अन्य नवोन्मेषी कार्यक्रम</u>**

- कृषि तथा सम्बद्ध विभागों द्वारा संचालित पब्लिसिटी कार्यक्रम।
- एस0एम0ए0ई0 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों जैसे- कृषक प्रशिक्षण, कृषक अध्ययन भ्रमण, मेला, कृषक-वैज्ञानिक संवाद, गोष्ठी आदि के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए श्री अन्न फसलों पर विशेष बल देते हुए फसलों के उत्पादन तकनीकी , प्रसंस्करण, पैकैजिंग, मूल्य संवर्धन आदि विषयों पर कराया जाना प्रस्तावित है।
- कृषकों के हितार्थ नवोन्मेषी कार्यक्रम "द मिलियन फार्मर्स स्कूल"(किसान पाठशाला) एवं आई0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए एन0आई0सी0 के माध्यम से आयोजित "वैज्ञानिकों की बात-किसानों के साथ"कार्यक्रम का मुख्य विषय अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के दृष्टिगत श्री अन्न वाली फसलों/मिलेट्स फसलों से संबन्धित समस्त विषयों को समाहित कर कृषकों को जागरूक किया जायेगा।
- प्रदेश के 59000 ग्राम पंचायतों में "द मिलियन फार्मर्स स्कूल" (किसान पाठशाला)" , दलहन प्रधान विकासखण्डों में आयोजित किसान पाठशाला, तिलहन प्रधान विकासखण्डो में आयोजित किसान पाठशाला एवं मिलेट्स प्रधान विकासखण्डों हेतु आयोजित होने वाली गोष्ठी योजनाओं के कनवर्जन्स से ग्राम पंचायत स्तर पर खरीफ में गोष्ठियों का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।

**45. एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम(चावल) योजनाः-**

प्रदेश के 23 जनपदों में नेशनल फ्रूड सिक्योरिटी मिशन योजना के अन्तर्गत एवं 16 जनपदों में फसल विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत चावल उत्पादन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के 38 जनपदों यथा-सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड, हाथरस, एटा, कासगज, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया,

कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, लखीमपुर खीरी एवं बाराबंकी में चावल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (चावल) योजना का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के समस्त कृषकों को धान्य फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 38 जनपदों में चावल की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषकों को उन्नतशील बीज, संकर बीज, सूक्ष्म तत्व, तिरपाल, थ्रेसिंग फ्लोर, स्माल गोदाम एवं फसल प्रदर्शन पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही कृषको को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु क्लस्टर प्रदर्शन भी आयोजित कराया जायेगा। योजनान्तर्गत धान के प्रमाणित बीजों(प्रमोशनल प्रजाति 10 वर्ष से कम) पर रू0 2000/- प्रति कुं0, प्रमाणित बीजों(प्रमोशनल प्रजाति 10 वर्ष से अधिक) पर रू0 1000/- प्रति कुं0 तथा संकर बीजों पर रू0 10000/- प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो की दर से अनुदान अनुमन्य कराया जाना है।

**46. नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल(ऑयल सीड्स एवं टी0बी0ओ0) वर्ष 2022-23:-**

**योजना का नाम:-**नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल(ऑयल सीड्स एवं टी0बी0ओ0)

**योजना का संचालन:**- प्रदेश की तिलहन संबन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु केन्द्र पुरोनिधानित ननेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल(ऑयल सीड्स एवं टी0बी0ओ0) योजना वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित की जा रही थी जो कि वर्ष 2018-19 से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन(ऑयल सीड्स एवं टी0बी0ओ0) के नाम से क्रियान्वित की जा रही थी तथा वर्तमान वर्ष 2022-23 में उक्त योजना नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल(ऑयल सीड्स एवं टी0बी0ओ0) के नाम से क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत तिलहन कार्यक्रम एवं वृक्ष जनित तेल कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है:-

**तिलहन कार्यक्रम**

- प्रदेश में तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- एग्रोक्लाइमेटिक जोन के आधार पर तिलहनी फसलों का क्षेत्र विस्तार।
- प्रदेश की मांग के अनुरूप खाद्य तेलों की आवश्यकता की पूर्ति करना।
- लघु एवं सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/महिला कृषकों को इन फसलों के माध्यम से अधिक आय दिलाना।
- तिलहनी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना।

**कार्य क्षेत्र:-**प्रदेश के समस्त 75 जनपद।

**वृक्ष जनित तेल कार्यक्रम**

- बंजर भूमि, परती एवं अन्य अनुपयोगि भूमि का उपयोग कर तेल जनित वृक्षों तथा नीम व महुआ के वृक्षारोपण के माध्यम से तेल उत्पादन में वृद्धि करना।

**कार्य क्षेत्र:-**झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा एवं चित्रकूट।

**फण्डिंग पैटर्न:-**60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्याश।

**47.उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों का गुण नियंत्रणः-**

खरीफ 2023 में कार्यक्रम के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायन कृषकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में वर्तमान में लगभग 78987 उर्वरक विक्रय केन्द्र संचालित है। इसके अतिरिक्त 66495 बीज तथा 55449 कृषि रक्षा रसायनों के पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक/बीज/कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध करानें का कार्यक्रम बनाया गया है। निरीक्षण के समय संदिग्ध उर्वरक, बीज तथा कृषि रक्षा रसायनों के नमूने अवश्य ग्रहित किये जाय। खरीफ 2023 में सघन छापे आयोजित कर उर्वरक, बीज तथा कृषि रक्षा रसायनों के नमूनें ग्रहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनका वार्षिक लक्ष्य क्रमशः 12000, 18000 तथा 7000 है इनकी जनपदवार कार्ययोजना बनाकर अभियान के रूप में बिक्री केन्दों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण किया जाय। संदिग्ध उर्वरको/बीज/कृषि रक्षा रसायनों के नमूने ग्रहित कर विश्लेषणोपरान्त कृषि निवेश अमानक होने पर दोषी पक्ष के विरूद्ध सम्बन्धित अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। **जनपदवार लक्ष्य संलग्नक-9 पर दर्शाए गए हैं।**

**48.प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना:-**

1. **उद्देश्य कार्यक्षश्रेत्र व कवर किये गये जोखिम:-** प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के खरीफ एवं रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित की जा रही है। योजना में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, क्रमियों से क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता का प्राविधान है। योजना में निम्न जोखिमों को कवर किया गया है:-

   I. प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति।

   II.खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा- सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओला, भू-स्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों- रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति।

   III. फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मोसमीय स्थितियो के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति की स्थिति।

   IV. खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जल भराव(फसल धान को छोड़कर) भू-स्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्नआग से क्षति की स्थिति।

   V. फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसलों को ओलावृष्टि, चक्रवात, बैमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति।

युद्ध दुर्भावना पूर्ण क्षति व रोके जा सकने वाले अन्य जोखिमो से क्षति को योजना में कवर नहीं किया गया है।

**2. सम्मिलित कृषक:-**

योजना ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों हेतु स्वैछिक आधार पर लागू की गयी है। ऋणी किसानों हेतु योजना Opt-out mode पर लागू है। ऋणी किसान बीमा कराने की अन्तिम तिथि खरीफ मौसम में 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसम्बर के सात दिन पहले तक योजना में प्रतिभाग नहीं करने के संबन्ध में बैंक को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देना आवश्यक है। यदि बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाता है तो कृषक अनिवार्य रूप से कवर नहीं होगा, अन्यथा अधिसूचित फसलों के लिये, लिये गये फसली ऋण पर नियमानुसार प्रीमियम की कटौती की जायेगी। कृषकों द्वारा अपनी निकटतम बैंक शाखा/बीमा कंपनी के एजेण्ट/निकटतम कामन सर्विस सेन्टर/सीधे बीमा कंपनी अथवा भारत सरकार के आनलाईन पोर्टल-www.pmfby.gov.in के माध्यम से उल्लिखित अन्तिम तिथियों तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

**3. बीमित फसल, बीमित राशि, प्रीमियम व अनुदान:-**

कृषकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खरीफ में फसल धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूँग, अरहर, मूँगफली, सोयाबीन व तिल तथा रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसो, अलसी व आलू का बीमा कराया जा सकता है। सभी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमीयम दर को खरीफ में बीमित राशि के 02 प्रतिशत तथा रबी में बीमित राशि के 1.5 प्रतिशत तथा खरीफ/रबी की वार्षिक फसल हेतु बीमित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम दर तक सीमित रखा गया है।

**4. बीमा कवरेज हेतु निर्धारित तिथिया:-**

कृषक द्वारा खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसम्बर की अंतिम तिथि तक बीमा कराया जा सकता है।

**5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल का बीमा कहाँ से करवा सकते हैं:-**

- ऋणी कृषकों का बीमा ऋण दायी संस्था द्वारा नियमानुसार किया जाता है।
- गैर-ऋणी कृषक अपना बीमा बैंक शाखा/सहकारी बैंक/अधिकृत बीमा मध्यस्थ/जनसेवाकेन्द्र/क्रियान्वयक अभिकरण कार्यालय से करा सकते हैं अथवा निर्धारित तिथि के अन्दर राष्ट्रीय कृषि बीमा पोर्टल-www.pmfby.gov.in क्राप इंश्योरेन्स एप पर आनलाईन आवेदन फार्म भरकर स्वयं बीमा करा सकते हैं।

**6. फसलों की क्षति का आंकलन व क्षतिपूर्ति का भुगतान:-**

योजना में फसलों की क्षति का आंकलन मौसम के अन्त में ग्राम पंचायतों में अधिसूचित फसलों पर संपादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर किया जाता है। प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से ग्राम पंचायत में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति में आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप कृषकों को बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति देय होती है।

उपरोक्त स्थितियों में फसलों की क्षति का आंकलन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है।

फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में स्थानिक आपदाओं-ओलावृष्टि, जलभराव व भू-स्खलन से क्षति की स्थिति में व फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि में खेत में सुखाई हेतु रखी कटी फसलों को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत कृषक के स्तर पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इन स्थितियों में प्रभावित कृषकों को आपदा के 72 घण्टों के अन्दर स्वयं अपने बैंक शाखा अथवा जनपद के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कंपनी को व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

फसल की मध्य अवस्था तक ग्राम पंचायत में 50 प्रतिशत से अधिक उपज में क्षति की स्थिति में कृषकों को संभावित क्षतिपूर्ति के अधिकतम 25 प्रतिशत तक आंशिक क्षतिपूर्ति तत्कालिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। तत्कालिक सहायता की धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर आंकलित कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जाता है। योजना के प्राविधानों के अनुसार कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होने पर बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि बैंक के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में जमा करा दी जाती है।

योजना संबन्धी जानकारी हेतु-कृषकों के लिए योजना संबन्धी जानकारी हेतु प्रदेश स्तर पर टोलफ्री नम्बर-1800 889 6868 स्थापित है। कृषरक भाई इस नम्बर पर फोनकर योजना संबन्धी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

**7. फसल बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज:-**

- आधार कार्ड(अद्यतन)
- भूमि स्वामित्व दस्तावेज- अधिकार का रिकार्ड(आर0ओ0आर0) और भूमि कब्जा प्रमाणपत्र(एल0पी0सी0)
- बैंक पासबुक (प्रथम पृष्ठ-बैंक खातों के विवरण के साथ)
- फसल बुवाई प्रमाणपत्र
- बटाईदार किसान या किराये पर ली गयी भूमि की स्थिति में, भूमि के मालिक के साथ अनुबन्ध समझौता, किराया/पट्टा अभिलेख आदि
- कृषक का मोबाईल नंबर(बीमा कम्पनी से किसी भी सूचना के लिए)

**8. शिकायत की स्थिति मे कहाँ-कहाँ सम्पर्क किया जा सकता है:-**

- प्रदेश में स्थापित संयुक्त टोलफ्री नम्बर 1800 889 6868
- फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.inपर दिया जा सकता है।
- नजदीकी बैंक में
- बीमा कंपनी में
- जनसेवाकेन्द्र में
- खण्ड विकास अधिकारी
- जिला कृषि अधिकारी
- जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति
- राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति

**49.मण्डल स्तरीय गोष्ठियॉ-**

मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में किया जायेगा। इस गोष्ठी में मण्डल स्तर के महत्वपूर्ण अधिकारी एवं जनपदीय अधिकारी भाग लेंगे। आवश्यकतानुसार मण्डल के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (परियोजना)/जिला विकास अधिकारी (परियोजना निदेशक) को आमंत्रित किया जाय। इन प्रशिक्षणों के आयोजन की पूरी व्यवस्था मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा की जायेगी।

**50.जनपदीय गोष्ठियॉ**

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जनपदीय गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। इनका संयोजन मुख्य विकास अधिकारी/उप कृषि निदेशक करेंगे। इन गोष्ठियों में आवश्यकतानुसार जनपद के विकास कार्यो से सम्बन्धित अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी भाग लेंगे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड के आवश्यकतानुसार प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाय।

**51.विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठियॉ :-**

जनपदीय गोष्ठियों में ही विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठियों की तिथियॉ निश्चित कर दी जाय। विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण को शीघ्र पूर्ण करने हेतु जनपद स्तर के अधिकारियों की आपस में दो-दो टोलियॉ बनाकर उनको विकास खण्ड आवंटित कर दिये जाय। इन गोष्ठियों की अध्यक्षता परगनाधिकारी/प्रमुख क्षेत्र समिति द्वारा की जाय तथा आवश्यकतानुसार ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, सचिव एवं प्रगतिशील कृषकों को भी आंमत्रित किया जाय।

**52.** किसानो को अधिकाधिक रूप से फसलोत्पादन से सम्बन्धित जानकारियों आदि की वीडियो क्लीपिंग तैयार कराकर प्रदर्शित करायी जाय तथा सोशल मीडिया संसाधनों यथा ह्वाट्सऐप, जूम ऐप तथा गूगल मीट ऐप आदि का प्रयोग करते हुए कृषको को जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि मीडिया माध्यमों से जानकारियॉ किसानों को दी जाय। प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामसभा वार प्रगतिशील किसानों के सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर उन्हेंनियमित रूप से सामयिक कृषि कार्यों विषयक जानकारियॉ दी जाय तथा ग्राम सभा के अन्य प्रगतिशील किसानों को अधिकाधिक संख्या में ह्वाट्सऐप ग्रुप बनाकर इन जानकारियों के प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

**53.कृषि कार्यों को करने के दौरान निम्नलिखित सावधानियां अपनायी जायें:-**

सभी प्रकार के कृषि कार्यों को करने से पहले तथा बाद में हाथों को साबुन से नियमित रूप से धोएं अथवा सेनिटाइजर का प्रयोग करें। कार्य करते समय आँख, मुँह, नाक को हाथ से न छुएं ताकि संक्रमण से बचे रहें। कृषि कार्यों हेतु कृषि यंत्रों के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाय। कार्य करने से पूर्व कृषि यंत्रों की धुलाई एवं सफाई करें। उर्वरक तथा अन्य निवेशों को दुकानों से क्रय करते समय तथा पी0ओ0एस0 मशीन का प्रयोग करने के पश्चात् साबुन से हाथ धोएं या सेनिटाइजर का प्रयोग करें।

**54.**यह रणनीति सामान्य मानसून हेतु तैयार की गयी है। मानसून में अप्रत्याशित बदलाव परिलक्षित होने पर अथवा आंशका होने पर तत्काल स्थानीय स्तर पर आप वहां की भूमि, जलवायुविक परिस्थितियों के अनूकूल आकस्मिक योजना तैयार करते हुए शासन को कृषि निदेशक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कृषि योग्य समस्त भूमि पर अनिवार्य रूप से फसलें आच्छादित हों।

**55. सिंचाई जल प्रबन्धनः-**

फसलोत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक होगा कि समय पर पर्याप्त सिचाई जल उपलब्ध हो। इस हेतु आवश्यक होगा किः-

1. नहरों व उनकी अल्पिकाओं के टेल तक पानी समय से पहुंचे।
2. नलकूप निरन्तर क्रियाशील रहें।
3. निजी नलकूपों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध रहे।

अतः आपसे अपेक्षित है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नहरों की सफाई समय से पूर्व हो जाय, रोस्टर के अनुसार पानी उपलब्ध हो तथा नलकूपों को समय से ठीक करा लिया जाय।

**56. खरीफ-23 के लिये महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नवत् होंगे:-**

(i) धान का उत्पादन 23.23 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया जाना है एवं क्षेत्राच्छादन में 0.81 लाख हे0 की वृद्धि का लक्ष्य है।

(ii) बाजरे का क्षेत्र आच्छादन 102157 हे0 तथा उत्पादन 5.09 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया जाना है।

(iii) मक्का का क्षेत्र आच्छादन में 102590 हे0 तथा उत्पादन में 7.60 लाख मीट्रिक टन वृद्धि की जानी है।

(iv) अन्यकोर्स सीरियल के क्षेत्र आच्छादन में 7000 हे0 एवं उत्पादन में 11000 मीट्रिक टन की वृद्धि की जानी है।

(v) दलहन के क्षेत्र आच्छादन में 2.64 लाख हे0 तथा उत्पादन में 3.94 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की जानी है।

(vi) तिलहनी फसलों के क्षेत्र आच्छादन में 1.69 लाख हे0 एवं उत्पादन में 1.9 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की जानी है।

यानि कि क्षेत्र आच्छादन में कुल 7.61 लाख हे0 की वृद्धि की जानी है एवं उत्पादन में लगभग 42.58 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्तरी लक्षित है।

**57. उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति निम्नवत होगी:-**

(i) असमतल भूमि आधी खेती है-खेत का समतलीकरण न सिर्फ उत्पादन लागत 7 प्रतिशत कम करता है, बल्कि सिंचाई के पानी एवं उर्वरक की उपयोग क्षमता में भी वृद्धि करता है। उक्त सोच के अन्तर्गत फार्म मेक्नाईजेशन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लेज़र लैण्ड लेवलर कृषकों को अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध कराए जायेंगे।

(ii) दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र अच्छादन व उत्पादन बढ़ाने के लिए बुन्देलखण्ड के जनपदों को केन्द्र बिन्दु बनाते हुए कार्य किया जाएगा।प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुरूप नये क्षेत्र लगभग 6800हे0 को रिक्लेम करते हुए कृषि के अन्तर्गत लाया जाएगा।

(iii)सीड रिप्लेसमेंट रेट के लिए विगत वर्ष 11.67 लाख मीट्रिक टन उन्नत बीज का वितरण किया गया था वह इस वर्ष 12.24 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा।

(iv) विगत खरीफ की तुलना में लगभग 8.98 प्रतिशत अतिरिक्त उर्वरक कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) बायो फर्टिलाईजर के 702800पैकेट वितरित किये जायेंगे।

(vi)क्रॉप लोन विगत वर्ष 50063.97 करोड़ वितरित किया गया था जिसके सापेक्ष इस वर्ष खरीफ में67333.95 करोड़ क्रॉप लोन वितरित किया जाएगा। इसमें 17269.98करोड़ यानि कि 34.49 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी लक्षित है।

(vii)कीटनाशक विगत खरीफ में 9229.75 मीट्रिक टन और किलो लीटर उपलब्ध कराया गया था। जिसके सापेक्ष इस वर्ष 9850 मीट्रिक टन और किलो लीटर जो 6.7 प्रतिशत अधिक है उपलब्ध कराया जाएगा।

(viii) कुल 42550 कृषकों को सोलर पम्प उपलब्ध कराया जाएगा।

(ix) प्रत्येक फसल के सम्बन्ध में प्रगतिशील कृषकों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के दल को उन प्रदेशों में प्रशिक्षण/भ्रमण पर ले जाने की व्यवस्था की जाएगी जहाँ सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त की गई है।

(x) सिंचाई में वाटर यूज़ इफीशिएन्शी बढ़ाने के लिए नई तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा।

(xi) उर्वरक एवं पेस्टिसाइड आदि की यूज़ इफीशिएन्शी को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकी व उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रचलन बढ़ाया जाएगा।

(xii)फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष पर जोर देते हुए क्लस्टर एप्रोच पर कार्य किया जाएगा।

(xiii) फसल प्रणाली केन्द्रित हस्तक्षेप को बढ़ाया जाएगा।

(xiv) मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए ढैंचा का प्रयोग एवं समुचित क्रॉप रेजिड्यु मैनेजमेंट के लिए आवश्यक कृषि उपकरण व बायोएजेन्ट्स को पर्याप्त संख्या व मात्रा में कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(xv) कृषि कार्यों में ड्रोन आधारित तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा।

**58. कार्यान्वयन एवं अनुश्रवणः-**

खरीफ-2023 में मुख्य फसलों-धान, मक्का, उर्द, मूंगफली एवं तिल के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन व उत्पादकता विषयक लक्ष्य विभाग के ग्राम स्तरीय अधिकारियों से लेकर वरिष्ठतम अधिकारियों के बीच निर्धारित करते हुए कृषि निदेशालय द्वारा समुचित निर्देश निर्गत किये जाएंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित समीक्षा की जाएगी तथा प्रत्येक कर्मी व अधिकारी के वार्षिक कार्य के अप्रैजल में इन लक्ष्यों के प्राप्ति को अंकित/उल्लिखित किया जाएगा। प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए समस्याओं का निराकरण अपने स्तर पर करेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कुशल निर्देशन में कृषि उत्पादन एवं इससे सम्बन्धित सेक्टर्स में निर्धारित 5.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेतु अपना सक्रिय योगदान देकर खरीफ 2023 को पूर्णत: सफल बनाएगें।

**<u>संलग्नक</u>: यथोक्त ।**

भवदीय,

**मनोज कुमार सिंह**

कृषि उत्पादन आयुक्त।

<u>संख्या-48/2023/2399534(1)/12-2099/90/2023, तददिनांक।</u>

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त, ग्रामीण अवस्थापना विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. परियोजना समन्वयक, उ0प्र0कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ।
4. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कुलपति, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद ।

6- कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर एवं कुमारगंज, फैजाबाद ।

7- कुलपति,सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।

8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।

9- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।

10- निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रेहमानखेड़ा, लखनऊ।

11. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

14. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

15. निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

16. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

17. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

18. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड0कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

19. मुख्य अभियन्ता, नलकूप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

20. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

21. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

22- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ।

23. प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार निगम, भू-मित्र भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

24. मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 पावर प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

25. महा निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

26. प्रबंन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

27. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

28. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।

29. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भदरूख, रायबरेली रोड, लखनऊ।

30. निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर।

31. निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण, छलेसर, आगरा।

32. निदेशक, केन्द्रीय औषधि एवं सगन्ध पौध अनुसंधान संस्थान।

33. निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

34. निदेशक, राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।

35. निदेशक,गन्ना विकास निदेशालय, सीजीओ काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ।

36. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, रामपुर एवं मथुरा।

37. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

38. प्रबंध निदेशक, यू0पी को-आपरेटिव फेडेरेशन लि0, लखनऊ।

39. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 को-आपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।

40. कृषि निदेशालय के समस्त नियंत्रक अधिकारी/अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक।

41. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, लखनऊ।

42. प्रशासक, शारदा सहायक/रामगंगा समादेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

43. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

44. समस्त संयुक्त आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।

45. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

46. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

**ऋषिरेन्द्र कुमार**

विशेष सचिव।